न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 67/2020

वादीगण बनाम	प्रतिवादी
1. कुलदीप सिंह पुत्र निशान सिंह जाति जटसिख निवासी चक 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:- 20.08.2020

उपस्थितः 1.श्री मनजीत सिंह कचूरा अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

--निर्णय-- दिनांक : 22.11.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 46 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 31/29 में 2.479 हैक्टर नहरी बारानी भूमि वादी के दादा जसवन्त सिंह पुत्र कौर सिंह को जरिये सनद संख्या 170 दिनांक 03.01.2005 को उपखण्ड अधिकारी एंव उपनिवेशन अधिकारी श्रीकरणपुर द्वारा जारी की गई थी। उक्त भूमि पर जसवन्त सिंह की मृत्यू के बाद से आज तक लगातार, शांतिपूर्वक उनके वारिसान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त सनद में सहवन से वादी के दादा जसवन्त सिंह के पिता का नाम कौर सिंह के स्थान पर कौयर सिंह दर्ज हो गया। जो एक टंकनीय त्रुटि है। जिसमें सुधार किया जाना विधिसम्मत है। उक्त त्रुटि के कारण वादी को बहुत असुविधा और परेशानियों का सामना करना पड रहा है और उक्त रकबा का खातेदारी इन्तकाल भी जसवन्त सिंह की मृत्यू के बाद उनके वारिसान के नाम से नहीं हो पा रहा है। आज से करीब 10 रोज पूर्व पटवारी हलका को उक्त दुरूस्ती करने के लिए कहा तो पटवारी हलका ने श्रीमान जी के न्यायालय में चाराजोही करने को कहा। यही विनाये दावा व विनाये मुखास्मत है। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट डिक्री फरमाया जावे कि सनद संख्या 170 दिनांक 03.01.2005 जिसमें वादी के दादा जसवन्त सिंह पुत्र कौयर सिंह जाति जटसिख चक 46 एफ मौडा के नाम से जारी की गई में टंकनीय त्रुटि के कारण गलती से दर्ज किया गया है के स्थान पर वादी के दादा का नाम जसवन्त सिंह पुत्र कौर सिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

वाद पत्र पेश होन पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। राजपैरोकार द्वारा जवाब स्टेट पेश किया गया। सामिल मिसल किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 53 दिनांक 30.03.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 46 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 31 में जसवन्त सिंह पुत्र कौयर सिंह जाति जटसिख 2.479 हैक्टर नहरी बारानी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। फर्द मौका दिनांक 29.10.2020 के अनुसार प्रार्थी के दादा का सही नाम कौर सिंह है। राजस्व रिकॉर्ड में जसवन्त सिंह पुत्र कौयर सिंह के स्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

पर जसवन्त सिंह पुत्र कौर सिंह दर्ज किया जाना उचित है। वादी के द्वारा प्रस्तुत जसवन्त सिंह के मृत्यू प्रमाण पत्र में नाम जसवन्त सिंह पुत्र कौर सिंह दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत 46 एफ मौडा के द्वारा प्रमाणित किया है कि जसवन्त सिंह की मृत्यू दिनांक 12.04.1999 को हो चुकी है। जिनको मै व्यक्तिगत रूप से जानती व पहचानती हूं। जसवन्त सिंह पिता कौयर सिंह ना होकर कौर सिंह है। साक्ष्यवादी व साक्ष्यप्रतिवादी पेश नहीं होने पर बन्द की गई।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात तथा चक 46 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 31 की प्रति, जसवन्त सिंह के मृत्यू प्रमाण पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादी के द्वारा चक 46 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 31 मे दर्ज नाम जसवन्त सिंह पुत्र कौयर सिंह के स्थान पर जसवन्त सिंह पुत्र कौर सिंह करवाने बाबत निवेदन किया है। वादी के दादा के मृत्यू प्रमाण पत्र में नाम जसवन्त सिंह पुत्र कौर सिंह अंकित है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे जसवन्त सिंह पुत्र कौयर सिंह के स्थान पर जसवन्त सिंह पुत्र कौर सिंह किया जाना उचित है। सरपंच ग्राम पंचायत 46 एफ मौडा के द्वारा प्रमाणित किया कि जसवन्त सिंह पिता कौयर सिंह ना होकर कौर सिंह है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर 46 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 31/29 मे दर्ज नाम जसवन्त सिंह पुत्र कौयर सिंह के स्थान पर जसवन्त सिंह पुत्र कौर सिंह अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को लिखवाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान- 2021, राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत 46 एफ मौडा में सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

कुलदीप सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

धारा अन्तर्गत **88** आरटीए, **136** एलआरएक्ट मुकदमा नं. **67/2020**

निर्णय दिनांक :- 22.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री मनजीत कचूरा** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर 46 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 31/29 में दर्ज नाम जसवन्त सिंह पुत्र कौयर सिंह के स्थान पर जसवन्त सिंह पुत्र कौर सिंह अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें

आज दिनांक 22.11.2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
			स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	मेहनताना वकली पर	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	योग	00	00
योग	04	**00**			

अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
दिनांक: २२/११/२१

क्रमांक: राजस्व/ 2021/ ५६१
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर